

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

4/7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।

संख्या: 158/एसएलएसए-56/2027

दिनांक: जून 11, 2025

कार्यालय आदेश

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश दिनांकित 04.06.2025 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

उक्त समिति हेतु निम्नलिखित सदस्यों को नामित किया गया है:-

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | डा0 श्रीमती शिवा पाण्डेय, ए0डी0जे0,
कोर्ट संख्या 13, सिविल कोर्ट, लखनऊ। | पीठासीन अधिकारी |
| 2. | श्री प्रदीप यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट(ए0टी0एस0),
सिविल कोर्ट, लखनऊ। | सदस्य |
| 3. | श्रीमती ऋचा बुधवार, व्यक्तिगत सहायक,
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ। | सदस्य |
| 4. | डा0 नीलम सिंह,
एन0 जी0 ओ0- वात्सल्य, लखनऊ। | सदस्य |

श्री शेषानन्त तिवारी, निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को उक्त आंतरिक शिकायत समिति के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(संजय सिंह-I)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:

1. आंतरिक शिकायत समिति, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से संबंधित पीठासीन अधिकारी, सदस्यगण तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. गार्ड फाइल।

(संतोष कुमार-II)
सचिव